| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
| --- | --- | --- |
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | श्रावण 25, शुक्रवार, *शाके 1946*-अगस्त 16, *2024*<br>*Sravana 25, Friday, Saka 1946- August 16, 2024* | |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

## HOME (GROUP-X) DEPARTMENT

NOTIFICATION

**Jaipur, August 16, 2024**

**S.O.63 .-**Whereas, it is expedient for fair and speedy trial that the process issued by Courts are generated, issued and executed through secured electronic mode and by use of secured electronic communication;

Whereas, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, hereinafter referred to as the ‘Sanhita’, under Chapter VI recognises summons in an encrypted or any other form of electronic communication;

Whereas, section 530 of the Sanhita provides for issuance, service and execution of summons and warrant as well as all proceedings in electronic mode or by use of electronic communication;

And whereas, the District Judiciary and the Police in the state of Rajasthan have secured, efficient and self-sufficient portals namely Case Information System (CIS), National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP), Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) and Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) which are competent to facilitate generation, transmission, service, acknowledgment and report generation of the processes issued by criminal courts;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 64 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title, commencement and extent.-** (1) These rules may be called theRajasthan Electronic Processes (Issuance, Service and Execution) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall extend to whole of the State of Rajasthan.

**2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

**(a) "Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS)"** means a software/web portal used by the Police for data collection and execution of instructions;

**(b) "Case Information System (CIS)"** means a software/web portal used bythe Court for the data collection and execution of instructions;

(c) **"Code"** means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);

(d) **"Electronic Communication"** means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content, transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to adevice or from a device to a person) by means of an electronic device including a telephone, mobile phone, or other wireless telecommunication device, or a computer, or audio-visual player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by the High Court;

(e) **"Electronic Signature"** means authentication of any electronic record by a subscriber or court by means of the electronic technique specified in the Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature;

(f) **"General Rules"** means General Rules (Civil & Criminal), 2018;

(g) **"High Court"** means the Rajasthan High Court;

(h) **“National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP)”** means an android OS App used for service and delivery of Court processes;

(i) **"Process"** includes summons, warrant or any other forms set forth in the Second Schedule of the Sanhita or of the Code, with such variations as the circumstances of each case require, issued for the respective purposes mentioned in the Sanhita;

(j) **"Recognised Electronic Mail Address"** means the e-mail account of a person or organization used to send and receive messages over Internet, which is shown to be admitted, used, or provided by such person or organization, either personally or on a website or portal;

(k) **“Register”** means the register mentioned in Form appended to these rules;

(l) **"Sanhita"** means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023);

(m) **"Seal"** means image of seal of the Court;

(n) **"State"** means the State of Rajasthan;

(o) **"Summons"** means any summon issued under Chapter VI of the Code or Sanhita; and

(p) **"Warrant"** means and includes bailable warrant and non-bailable warrant.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023), the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023), and the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000).

**3. Application.-** (1) These rules shall apply to all classes of Courts mentioned in section 6 of the Code and Sanhita. They shall apply to cases governed by the Sanhita and also by the Code.

(2) These Rules shall be in addition to any other law or General Rules made by the Rajasthan High Court for the time being in force for issuance, service and execution of process by Courts.

**4. Electronic Process.-** The Courts may generate and issue process in electronic mode through CIS or NSTEP in such forms as set forth in the Second Schedule of the Code or Sanhita, as the case may be, with such variations as the circumstances of each case require.

**5. Language of the Processes.-** Every process issued in form of electronic communication under the Sanhita shall ordinarily be in Hindi, written in Devnagri Script and shall be in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the Court and digital signature. The Court may however direct the process to be issued in English language, if deemed expedient.

**6. Officer In-charge of Police Station to maintain contact information.-** (1) The Officer In-charge of the Police Station shall ensure that the verified details relating to address, recognised electronic mail address, phone number and messaging application used by the informant or victim or accused or witnesses, as the case may be, are recorded during arrest, investigation or inquiry and entered in CCTNS.

(2) Such information shall also be entered in the Register maintained at the Police Station in compliance with sub-section (1) of section 64 of the Sanhita. If any of such information is not available, the Officer In-charge of the Police Station shall make an endorsement to that effect in the Register. Such information may be amended on the basis of any further verification or on the basis of an application by such person.

**7. Complainant to provide information.-** Where a case is filed on the basis of a private complaint, the complainant shall file the details relating to address, recognised electronic mail address, phone number and messaging application of the accused and witnesses, if known to him, along with the complaint. If any of such information is not available, the complainant shall make an endorsement to that effect.

**8. Information to be used for issuance of process.-** The details relating to address, recognised electronic mail address, phone number and messaging application shall be transmitted in electronic form and maintained in CIS and may be used for issuance of process. Such digital information shall form part of the Register.

**9. Information not to be disclosed.-** (1) The information relating to recognised electronic mail address, phone number and messaging application of the informant, victim and witnesses shall not be provided to the accused while supplying copies under section 207 and 208 of the Code or section 230 and 231 of the Sanhita.

(2) The Officer In- charge of the Police Station shall also ensure that such information should not be disclosed while preparing copies under sub-section (8) of section 173 of the Code or sub-section (8) of section 193 of the Sanhita.

**10. Authentication of Processes.-** (1) Every process issued electronically shall contain electronic signature in such a manner that the name of the Court or the capacity in which the signatory or subscriber acts, is clearly mentioned.

(2) The summons generated in electronic form shall bear seal along with the electronic signature of the Clerk of Court or the Reader or any person authorized in writing in this regard as the case may be.

(3) Every warrant of arrest in electronic form shall be issued by electronic signature of the Presiding Officer of the court and shall also bear the image of the

seal of the court.

11. **Presumption of Processes.-** Where the processes generated in electronic form are received on CCTNS through a secured system, in an encrypted or any other form of electronic communication, it shall be presumed to be issued by the Court. Further, any printout of such processes shall have the same effect as issued in original for the purpose of its execution.

12. **Summons how served.-** (1) The court may issue process in electronic mode through CIS/NSTEP.

(2) The court may also direct a police officer, or an officer of the Court issuing it or other public servant to issue the process.

(3) The Officer In-charge of the Police Station or any subordinate Officer deputed by him, upon receipt of summons issued in form of electronic communication by the Court, shall forward the summons on the recognized electronic mail address, phone number or messaging application of the person summoned.

13. **Acknowledgment of service.-** (1) Where summons are served by way of electronic mail, the electronic mail service provider shall be used in such a manner so as to generate acknowledgment and such acknowledgment shall form part of the report of service.

(2) When any process is sent to a person or organization on recognized electronic mail address, unless the delivery of the electronic mail is disrupted or bounced back for any reason whatsoever, or a "return to sender", "bounced back" or "error" message is received from mail server, the delivery may be deemed to be effected, at the time at which the electronic mail would be delivered in the ordinary course of email, unless contrary is proved.

**Explanation:** The ordinary course of email may be determined in accordance with section 13 of The Information Technology Act, 2000.

(3) Where summons are served by way of any other electronic communication including messaging application, the acknowledgment shall form part of the report of the service and the report shall contain details including mobile number, messaging application and screenshot/photo of the application reflecting delivery of the communication.

(4) Such delivery shall be deemed to be due service of summons/process and a copy of such summons/process along with report of service shall be kept in record as a proof of service of summons/process..

**Explanation:** Acknowledgment under this rule includes an acknowledgment given by,-

(i) any communication by the addressee, automated or otherwise; or

(ii) any conduct of the addressee, sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received.

(5) Where any process is served or executed otherwise through electronic mode, the Police Officer while making service or executing the process shall capture photographs and take acknowledgment of the recipient, which shall form part of the report of the service.

14. **Lack of information of the summoned person.-** In case, verified information of the email address, phone number or messaging application relating to the person summoned are not available, the Officer In-charge of the Police Station or

any Police Officer deputed by him shall make an entry in that regard and after taking printout in duplicate of the summons issued in electronic mode, shall serve the same in accordance with procedure prescribed under Chapter VI of the Code or Sanhita.

**15. Summons not served.-** When summons are not served by an electronic mail or other mode of electronic communication or delivery is disrupted and bounced back for any other reason, the Officer In-charge of the Police Station or any Police Officer deputed by him shall prepare a report in that regard containing all including mobile number, messaging application screenshot/photo of the application and shall proceed as per rule 14 for service of the summons.

**16. Warrant how served.-** In case warrant or any other process is issued in electronic mode, the Officer In-charge of the Police Station or any Police Officer deputed by him shall take a printout of the warrant or process and execute the same in accordance with the Code or Sanhita and the rules made in that regard.

**17. Service report to the court for pending service of processes.-** Upon due service or non-service of the process, the serving officer of the concerned Police Station shall transmit the service report along with relevant documents including bail bonds, photographs, screenshots, acknowledgment, if any, to the concerned Court in electronic form through CCTNS/NSTEP, and shall also forward such service/execution report in physical form.

**18. Consideration of service report.-** The Court, after receiving the report in electronic form under rule 17, may act upon such report. Such report or printout of such report shall be treated to be original for the purpose of satisfaction as to the service/execution of the process.

**19. Identity in some cases not to be disclosed.-** Where any process is issued in cases relating to offences under sections 376 to 376E of the Indian Penal Code, 1860 or sections 64 to 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or offences against woman or child, the Officer In-charge of the Police Station shall ensure that the identity of the victim is not revealed in any manner in course of service or execution. Further, in such cases, the report in physical form shall be submitted in a sealed envelope to the Court.

**20. Processes in Pending Matters Under the Code.-** Nothing in these rules shall be deemed to limit the powers of the Courts to generate and direct service or execution of processes under these rules, in pending matters governed by the Code of Criminal Procedure, 1973.

**FORM**

**Register Under Section 64(1) of BNSS, 2023**

| S. N. | FIR No. Police Station | Court Name & Place | Case Title | CNR Number | Date of issue of process by the Court and Name and Address of person summoned or against whom warrant is issued | Process Type | Appearance Date | Offence Under | Relative Name, if summon served | Process Service Status | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |

**[File No.F.14(6)Misc./Home-10/2024]**

**By order of the Governor,**

Ravi Sharma,

**Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**

| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | माघ 18, शुक्रवार, *शाके 1946*- फरवरी 07, 2025<br>*Magha 18, Friday, Saka 1946- February 07, 2025* | |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**गृह (ग्रुप- 10 ) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, फरवरी 6, 2025**

**एस.ओ. 63 .-** राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.14(6)विविध/गृह-10/2024 दिनांक 16 अगस्त, 2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

**राज्यपाल के आदेश से,**

रवि शर्मा,
**शासन सचिव, गृह**

**( प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद )**

**सं. एफ. 14(6)विविध/गृह-10/2024** **जयपुर, दिनांक : अगस्त 16, 2024**

**अधिसूचना**

यतः, निष्पक्ष और शीघ्र विचारण के लिए यह समीचीन है कि न्यायालयों द्वारा जारी आदेशिका सुरक्षित इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से और सुरक्षित इलैक्ट्रानिक संसूचना के उपयोग द्वारा जनित, जारी और निष्पादित की जायें;

यतः, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, अध्याय 6 के अधीन किसी गूढ़लेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य रूप में समनों को मान्यता प्रदान करती है;

यतः, संहिता की धारा 530 समनों और वारंट को जारी करने, तामील करने और निष्पादन करने के साथ-साथ समस्त कार्यवाहियों को इलैक्ट्रानिक ढंग में या इलैक्ट्रानिक संसूचना के उपयोग द्वारा करने का उपबंध करती है;

और यत:, राजस्थान राज्य में जिला न्यायपालिका और पुलिस के पास सुरक्षित, दक्ष और स्व-पर्याप्त पोर्टल अर्थात् केस इनफार्मेशन सिस्टम (सीआईएस), नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेसेज (एनएसटीईपी), क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) और इंटर-ओपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) हैं जो आपराधिक न्यायालयों द्वारा जारी आदेशिकाओं के जनन, पारेषण, तामील, अभिस्वीकृति और रिपोर्ट जनन को सुकर बनाने में सक्षम हैं;

अब इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) की धारा 64 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान इलैक्ट्रानिक आदेशिकाएं (जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) इनका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस ) " से डाटा संग्रहण और अनुदेशों के निष्पादन के लिए पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला साफ्टवेयर/वेब पोर्टल अभिप्रेत है;

(ख) "केस इनफार्मेशन सिस्टम (सीआईएस)" से डाटा संग्रहण और अनुदेशों के निष्पादन के लिए न्यायालय द्वारा उपयोग किया जाने वाला साफ्टवेयर/वेब पोर्टल अभिप्रेत है;

(ग) "कोड" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(घ) "इलैक्ट्रानिक संसूचना" से टेलीफोन, मोबाइल फोन, या अन्य बेतार दूरसंचार डिवाइस, या कंप्यूटर, या श्रव्य-दृश्य प्लेयर या कैमरा को सम्मिलित करते हुए किसी इलैक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से या किसी अन्य ऐसे इलैक्ट्रानिक डिवाइस या इलैक्ट्रानिक प्रकार से, जो उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के द्वारा पारेषित या अंतरित (चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या एक डिवाइस से किसी अन्य डिवाइस को या किसी व्यक्ति से किसी डिवाइस को या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को) कोई लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) "इलैक्ट्रानिक चिह्नक" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक तकनीक के माध्यम से किसी उपयोगकर्ता या न्यायालय द्वारा किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन अभिप्रेत है और इसमें अंकीय चिह्नक सम्मिलित है। साथ ही, जब इलैक्ट्रानिक रूप में जनित आदेशिका या रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक चिह्नक के माध्यम से अधिप्रमाणित की जाती है, तो यह उस व्यक्ति के चिह्नक द्वारा अधिप्रमाणित की गयी समझी जायेगी जिसने इलैक्ट्रानिक चिह्नक लगाया है;

(च) "सामान्य नियम" से सामान्य नियम (सिविल एवं फौजदारी), 2018 अभिप्रेत है;

(छ) "उच्च न्यायालय" से राजस्थान उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(ज) "नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेसेज (एनएसटीईपी)" से न्यायालय आदेशिकाओं की तामील और प्रदाय के लिए उपयोग किया जाने वाला एंड्राइड ओएस एप अभिप्रेत है;

(झ) "आदेशिका" में समन, वारंट या ऐसे परिवर्तनों सहित जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अपेक्षित करें, संहिता या कोड की द्वितीय अनुसूची में दिये गये संहिता में वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए जारी कोई अन्य प्ररूप सम्मिलित है;

(ञ) "ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल एड्रेस" से इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किये जाने वाला किसी व्यक्ति या संगठन का ई-मेल खाता अभिप्रेत है, जो ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या वेबसाईट या पोर्टल पर स्वीकृत, प्रयुक्त, या प्रदत्त दर्शित किया गया है;

(ट) "रजिस्टर" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप में उल्लिखित रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ठ) "संहिता" से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) अभिप्रेत है; और

(ड) "मुद्रा" से न्यायालय की मुद्रा की छवि अभिप्रेत है;

(ढ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ण) "समन" से कोड या संहिता के अध्याय 6 के अधीन जारी कोई समन अभिप्रेत है;

(त) "वारंट" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं जमानतीय वारंट और अजमानतीय वारंट |

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 ) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) में समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. लागू होना.- (1) ये नियम कोड और संहिता की धारा 6 में उल्लिखित न्यायालयों के समस्त वर्गों को लागू होंगे। ये संहिता द्वारा और कोड द्वारा भी शासित होने वाले मामलों पर लागू होंगे।

(2) ये नियम न्यायालयों द्वारा आदेशिका के जारी करने, तामील करने और निष्पादन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये सामान्य नियमों के अतिरिक्त होंगे।

4. इलैक्ट्रानिक आदेशिका.- न्यायालय ऐसे परिवर्तनों सहित जैसा मामले की परिस्थितियां अपेक्षित करें, ऐसे रूप में जैसा कोड या, यथास्थिति, संहिता की द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित है, सीआईएस या एनएसटीईपी के माध्यम से इलैक्ट्रानिक ढंग में आदेशिका जनित और जारी कर सकेंगे।

5. आदेशिकाओं की भाषा- संहिता के अधीन इलैक्ट्रानिक संसूचना के रूप में जारी प्रत्येक आदेशिका सामान्यत: हिंदी में होगी, देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी और गूढलेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य रूप में होगी और इस पर न्यायालय की मुद्रा की छवि और अंकीय चिह्नक होंगे। यद्यपि, न्यायालय यदि समीचीन समझता है, तो आदेशिका को अंग्रेजी भाषा में जारी किये जाने का निदेश दे सकेगा।

6. संपर्क सूचना संधारण करने के लिए पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी.- (1) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि सूचना देने वाले या पीड़ित या अभियुक्त या, यथास्थिति, साक्षियों द्वारा प्रयुक्त पते, ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पता, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित सत्यापित ब्यौरे गिरफ्तारी, अन्वेषण या जांच के दौरान अभिलिखित किये गये हैं और सीसीटीएनएस में प्रविष्ट किये गये हैं।

(2) ऐसी सूचना संहिता की धारा 64 की उप-धारा (1) की अनुपालना में पुलिस थाने में संधारित किये गये रजिस्टर में भी प्रविष्ट की जायेगी। यदि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी रजिस्टर में इस प्रभाव का पृष्ठांकन करेगा। ऐसी सूचना किसी अतिरिक्त सत्यापन के आधार पर या ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर संशोधित की जा सकेगी।

7. परिवादी का सूचना उपलब्ध करवाना.- जहां कोई मामला प्राइवेट परिवाद के आधार पर फाईल किया जाता है वहां परिवादी, परिवाद के साथ अभियुक्त और साक्षियों के पते, ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित ब्यौरे, यदि उसे ज्ञात हैं, फाईल करेगा। यदि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तो परिवादी इस प्रभाव का पृष्ठांकन करेगा।

8. आदेशिका जारी करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सूचना.- पते, ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित ब्यौरे इलैक्ट्रानिक रूप में पारेषित किये जायेंगे और सीआईएस में संधारित किये जायेंगे और आदेशिका जारी करने के लिए प्रयुक्त किये जा सकेंगे। ऐसी डिजीटल सूचना रजिस्टर का भाग होगी।

9. सूचना का प्रकट नहीं किया जाना.- (1) सूचना देने वाले, पीड़ित और साक्षियों के ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर और मैसेजिंग एप्लिकेशन से संबंधित सूचना कोड की धारा 207 और 208 या संहिता की धारा 230 और 231 के अधीन अभियुक्त को प्रतियां प्रदाय करते समय, उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी।

(2) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सूचना कोड की धारा 173 की उप-धारा (8) या संहिता की धारा 193 की उप-धारा (8) के अधीन प्रतियां तैयार करते समय प्रकट नहीं की जायें।

10. आदेशिकाओं का अधिप्रमाणीकरण.- (1) इलैक्ट्रानिक रूप से जारी प्रत्येक आदेशिका ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक चिह्नक अंतर्विष्ट करेगी जिससे कि न्यायालय का नाम या वह हैसियत जिसमें हस्ताक्षरकर्ता या उपयोगकर्ता कार्य करता है, स्पष्ट उल्लिखित हो।

(2) इलैक्ट्रानिक रूप में जनित समन पर न्यायालय के लिपिक या रीडर या, यथास्थिति, इस संबंध में लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक चिह्नक के साथ मुद्रा लगी होगी।

(3) इलैक्ट्रानिक रूप में गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के इलैक्ट्रानिक चिह्नक द्वारा जारी किया जायेगा और इस पर न्यायालय की मुद्रा की छवि लगी होगी।

11. आदेशिकाओं की उपधारणा.- जहां इलैक्ट्रानिक रूप में जनित आदेशिकाएं, गूढलेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य रूप में, सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से सीसीटीएस पर प्राप्त होती हैं, तो ये न्यायालय द्वारा जारी की गयी उपधारित की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी आदेशिकाओं का कोई प्रिंटआउट वैसा ही प्रभाव रखेगा जैसे इसके निष्पादन के प्रयोजन के लिए जारी किये गये मूल का है।

12. समन कैसे तामील किये जायेंगे.- (1) न्यायालय सीआईएस / एनएसटीईपी के माध्यम से इलैक्ट्रानिक ढंग में आदेशिका जारी कर सकेगा।

(2) न्यायालय, किसी पुलिस अधिकारी या इसे जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी या अन्य लोक सेवक को भी आदेशिका जारी करने का निदेश दे सकेगा।

(3) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अधीनस्थ अधिकारी, न्यायालय द्वारा इलैक्ट्रानिक संसूचना के रूप में जारी किये गये समनों की प्राप्ति पर समन, समन किये गये व्यक्ति के ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते, फोन नम्बर या मैसेजिंग एप्लिकेशन पर अग्रेषित करेगा।

13. तामील की अभिस्वीकृति.- ( 1 ) जहां समन इलैक्ट्रानिक मेल के रूप में तामील किये जाते हैं, वहां इलैक्ट्रानिक मेल सेवा प्रदाता ऐसी रीति में प्रयुक्त किया जायेगा जिससे कि अभिस्वीकृति जनित हो और ऐसी अभिस्वीकृति तामील की रिपोर्ट का भाग होगी।

(2) जब कोई आदेशिका किसी व्यक्ति या संगठन को उसके ज्ञात इलैक्ट्रानिक मेल पते पर प्रेषित की जाती है, तो जब तक कि किसी भी कारण से इलैक्ट्रानिक मेल का प्रदाय बाधित या बाउंस बैक न हो, या मेल सर्वर से “रिटर्न टू सेंडर", "बाउंस बैक" या "एरर” संदेश प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, प्रदाय उस समय पर प्रभावी समझा जायेगा, जिस पर इलैक्ट्रानिक मेल, ई-मेल के सामान्य अनुक्रम में प्रदत्त की जाती है।

स्पष्टीकरण : ईमेल का सामान्य प्रक्रम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के अनुसार अवधारित किया जा सकेगा।

(3) जहां समन मैसेजिंग एप्लिकेशन को सम्मिलित करते हुए किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से तामील किये जाते हैं, वहां अभिस्वीकृति तामील की रिपोर्ट का भाग होगी और रिपोर्ट में मोबाइल नम्बर, मैसेजिंग एप्लिकेशन और संसूचना के प्रदाय को दर्शित करने वाले एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट/फोटो को सम्मिलित करते हुए ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(4) ऐसा प्रदाय समन/आदेशिकाओं की सम्यक् तामील समझा जायेगा और तामील की रिपोर्ट के साथ ऐसे समनों/आदेशिकाओं की प्रति समनों/आदेशिकाओं की तामील के सबूत के रूप में अभिलेख में रखी जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के अधीन अभिस्वीकृति में निम्नलिखित द्वारा दी गयी कोई अभिस्वीकृति सम्मिलित है, -

(i) प्रेषिती द्वारा कोई संसूचना, स्वचालित या अन्यथा; या

(ii) प्रेषिती का कोई आचरण जो प्रवर्तक को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त हो कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्राप्त हो गया है।

(5) जहां कोई आदेशिका इलैक्ट्रानिक ढंग से अन्यथा तामील या निष्पादित की जाती है, वहां तामील या आदेशिका निष्पादित करते समय पुलिस अधिकारी फोटो लेगा और प्राप्तकर्ता की अभिस्वीकृति लेगा, जो तामील की रिपोर्ट का भाग होगी।

14. समन किये गये व्यक्ति की सूचना की कमी.- यदि, समन किये गये व्यक्ति से संबंधित ईमेल पते, फोन नम्बर या मैसेजिंग एप्लिकेशन की सत्यापित सूचना उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी इस संबंध में प्रविष्टि करेगा और इलैक्ट्रानिक ढंग में जारी किये गये समनों का दो प्रतियों में प्रिंटआउट लेने के पश्चात्, कोड या संहिता के अध्याय 6 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार इसकी तामील करवायेगा।

15. तामील नहीं किये गये समन.- जब समन इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य ढंग द्वारा तामील नहीं किये जाते हैं या प्रदाय किसी अन्य कारण से बाधित और बांउस बैक हो जाता है, तो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अन्य पुलिस अधिकारी मोबाइल नम्बर, मैसेजिंग एप्लिकेशन, एप्लिकेशन के स्क्रीन शॉट/फोटो सम्मिलित करते हुए समस्त अंतर्विष्ट करके उस संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगा और समनों की तामील के लिए नियम 14 के अनुसार अग्रसर होगा।

16. वारंट कैसे तामील किये जायें.- यदि वारंट या कोई अन्य आदेशिका इलैक्ट्रानिक ढंग में जारी किये जाते हैं, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई पुलिस अधिकारी वारंट या

आदेशिका का प्रिंटआउट लेगा और कोड या संहिता और उस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार इसका निष्पादन करेगा।

17. आदेशिकाओं की लंबित तामील के लिए न्यायालय को तामील रिपोर्ट.- आदेशिका की बकाया तामील या तामील नहीं होने पर, संबंधित पुलिस थाने का तामील अधिकारी जमानतपत्रों, फोटो, स्क्रीनशॉट्स, अभिस्वीकृति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए सुसंगत दस्तावेजों के साथ, सीसीटीएनएस/एनएसटीईपी के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में संबंधित न्यायालय को तामील रिपोर्ट पारेषित करेगा, और ऐसी तामील/निष्पादन रिपोर्ट भौतिक रूप में भी अग्रेषित करेगा।

18. तामील रिपोर्ट पर विचार किया जाना.- न्यायालय, नियम 17 के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकेगा। ऐसी रिपोर्ट या ऐसी रिपोर्ट का प्रिंटआउट आदेशिका की तामील/निष्पादन के समाधान के प्रयोजन के लिए मूल के रूप में समझा जायेगा ।

19. कुछ मामलों में पहचान प्रकट नहीं किया जाना.- जहां कोई आदेशिका भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 से 376ङ या भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 से 71 के अधीन अपराधों या महिला अथवा बालकों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में जारी की जाती है, वहां पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि तामील या निष्पादन के क्रम में किसी भी रीति में पीड़ित की पहचान प्रकट नहीं हो। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में भौतिक रूप में रिपोर्ट, न्यायालय को मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी ।

20. कोड के अधीन लंबित मामलों में आदेशिकाएं.- इन नियमों में कुछ भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा शासित होने वाले लंबित मामलों में, इन नियमों के अधीन आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के जनन और निदेश देने की न्यायालयों की शक्तियों को सीमित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

प्ररूप

बीएनएसएस, 2023 की धारा 64(1) के अधीन रजिस्टर

| **क्र. सं.** | **प्र.सू.रि. सं. पुलिस थाना** | **न्यायालय का नाम और स्थान** | **मामला शीर्षक** | **सीएनआर सख्याक** | **न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने की तारीख और समन किये गये व्यक्ति या जिसके विरूद्ध वारट जारी किया गया है, का नाम और पता** | **आदेशिका का प्रकार** | **उपस्थिति तारीख** | **अपराध अधीन** | **नातेदार का नाम, यदि समन तामील हुआ है।** | **तामील आदेशिका प्रास्थिति** | **टीका-टिप्पणियां** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |

**[पत्रावली सं.प. 14 (6) विविध/गृह-10/2024]**

**राज्यपाल के आदेश से,**

रवि शर्मा,

**शासन सचिव।**

**Government Central Press, Jaipur.**